बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांकः 07 अक्टूबर, 2025

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के मद्देनजर आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार श्री विनोद सिंह गुंजियाल की अध्यक्षता में सभी मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की।

उक्त बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा हुईः–

- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के लिए प्रेस नोट के माध्यम से दिनांक 06.10.2025 को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ब.टपहपस ।चच विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति आदर्श आवार संहिता संबंधी उल्लघन की शिकायत भेज सकते है, जिसका नियत समय के भीतर संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निष्पादन सुनिश्चित किया जायेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा अनुपालन हेतु व्यापक दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है, जिसके अन्तर्गत सामान्य आचरण, बैठक (सभा), जुलूस, मतदान के दिन अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दलों के व्यवहार, मतदान बूथ में प्रवेश, प्रेक्षक की नियुक्ति, सत्ताधारी दल के अधिकारिक कर्तव्य, निर्वाचन घोषणा पत्र पर दिशा–निर्देश शामिल है।
- MCMC कमिटीः– Media Certification and Monitoring Committee का गठन जिला एवं राज्य स्तर पर किया गया है, जो समाचार पत्रों, टी०वी० एवं सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के लिए Pre-certification का कार्य करती है। यह कमिटी पूरे वर्ष कार्यरत रहती है। जिला स्तरीय MCMC कमिटी के विरूद्ध अपील राज्य स्तरीय कमिटी, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यरत है, के समक्ष किया जा सकता है। राज्य स्तर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर पर Pre-certification हेतु कमिटी कार्यरत है।
- सतत् अद्यतीकरणः– बिहार राज्य में निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 30.09.2025 को किया गया है। आदर्श आचार संहित लागू होने के बाद निर्वाचक सूची में विलोपन की कार्रवाई नहीं होगी, जबकि नामों को

निर्वाचक सूची में शामिल करने के लिए आवेदन नाम–निर्देशन की अंतिम तिथि के दस दिन पूर्व तक अनुमान्य है।

- EVM demonstration :- बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के क्रम में पूरे राज्य में EVM Demonstration Centre जिला एवं अनुमंडल स्तर पर स्थापित किये गये हैं, जिसमें आम जन भाग ले कर भ्ंदके.वद कर सकते हैं। साथ ही पूरे राज्य में Mobile Demonstration Van के माध्यम से म्टड जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निदेश के आलोक में चुनाव की घोषणा के साथ ही EVM Demonstration Centre एवं Mobile Demonstration Van के माध्यम से चलाये जा रहे म्टड जागरूकता कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है।

- Criminal antecedent:- ऐसे सभी अभ्यर्थी जो अपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, जिन पर कोई प्राथमिकी दर्ज है या कोई दण्ड अथवा सजा आरोपित हुआ है, के मामले में अभ्यर्थी को इसकी सूचना राजनैतिक दलों को भी देना है। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विहित नीति से सूचना का प्रकाशन संचार माध्यमों से भी किया जाना है।
- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा बताया गया कि निर्वाचन की अधिसूचना जारी किये जाने के 7 दिनों के अंदर राजनीतिक दलों द्वारा स्टार प्रचारकों की सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/भारत निर्वाचन आयोग को समर्पित करने का प्रावधान है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के 40 तथा अन्य राजनीतिक दलों के 20 व्यक्तियों को स्टार प्रचारक की सुविधा अनुमान्य है। इसके लिए परमिट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से निर्गत किया जाता है।
- बिहार राज्य के लिए संसदीय क्षेत्रों के संदर्भ में अभ्यर्थियों के खर्च की अधिकतम सीमा 95 लाख रूपये एवं विधान सभा चुनाव हेतु अभ्यर्थियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रूपये निर्धारित है। इस क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि चुनाव के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा किये गये विधिक व्यय के तहत सार्वजनिक बैठक, रैली, पोस्टर, बैनर, वाहन, विज्ञापनों आदि में हुये व्यय को सम्मिलित किया जाता है, जबकि निर्वाचन व्यय की दूसरी श्रेणी में उन मदों पर किये गये खर्च शामिल हैं, जिनकी कानून के तहत अनुमति नहीं है, जैसे की निर्वाचकों को प्रभावित करने के उद्देश्य से राशि/शराब या किसी अन्य वस्तु का निर्वाचकों के बीच वितरण। यह व्यय रिश्वत की परिभाषा के तहत आता है, जो भारतीय न्याय संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत अपराध है तथा जिसके लिए कारावास की सजा का भी प्रावधान किया गया है।

''''''''''''''''